(५८)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

जस्व वाद संख्या 43 / 2023

कमणी उम्र 54 वर्ष पत्नी श्री हरलाल सिंह सानेल, जाति–मेघवाल, ग्राम सिगड़ी, तहसील मण्डागा. ला झुन्झुनू (राज.)

–आवेदिका

बनाम

श्रीमति अनिता कुमारी पत्नी श्री मुकेश कुमार जाति–मेघवाल, निवासी– निवासी ग्राम सिगडी, तहसील ण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

2. श्री नवीन पुत्र संतरा जाति–हरिजन, निवासी– सलानी, तहसील व जिला–चुरू (राज.)
3. श्री राहुल पुत्र संतरा जाति–हरिजन, निवासी– सलानी, तहसील व जिला–चुरू (राज.)
4. मु.संगीता पुत्री संतरा जाति–हरिजन, निवासी– सलानी, तहसील व जिला–चुरू (राज.)
5. राजस्थान बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा मेहरादासी, तहसील– मण्डावा, जिला–झुन्झुनू (राज.)
6. राजस्थान सरका लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 25.07.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि काश्त की भूमि हाल खसरा नं. 375 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नं.376 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नं. 377 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं. 378 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा नं. 379 रकबा 0.78 हैक्टेयर खसरा नं. 380 रकबा 1.02 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.63 हेक्टेयर बाके ग्राम सिगड़ी तहसील–मण्डावा, जिला–झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित है। उक्त भूमि में आवेदिका कब्जे काश्त में है एवं उनके उपयोग उपभोग में है।भूमि हाल खसरा नं. 381 रकबा 2.15 हैक्टेयर अनावेदकगण 1 लगायत 4 की शामलाती जमीन चली आ रही है। खसरा नं. 375 रकबा 0.23 हेक्टेयर, खसरा नं. 376 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नं. 377 रकबा 0.22 हेक्टेयर, हैक्टेयर, खसरा नं. 379 रकबा 0.78 हैक्टेयर खसरा नं. 378 रकबा 0.15 खसरा नं. 380 रकबा 1.02 हैक्टेयर कुल कित्ता 6 कुल रकबा 2.63 हैक्टेयर पर आवेदिका कय के रोज से काबिज है तथा उपयोग उपभोग में है।आवेदिका ने मौजूदा प्रार्थना पत्र के साथ मद संख्या 1 व 2 में वर्णित खसरा नम्बरान का नजरी नक्शा पेश किया है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ ही पढ़ा जावे तथा प्रार्थना पत्र का ही भाग माना जावे।आवेदिका की भूमि खसरा नं. 375, 376, 377, 378, 379, 380 में आने जाने एवं कृषि कार्य के लिये ट्रेक्टर व पशुधन एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिये एक मात्र रास्ता नजरी नक्शा में दर्शित आम सड़क ग्राम सिगड़च्ची से शेखसर जाने वाले मुख्य रास्ते से बिन्दू ए से बी एक मात्र नजदीकी रास्ता है। उक्त ए से बी रास्ता के अलावा भूमि खसरा नं. 375, 376, 377, 378, 379, 380 में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी रास्ता नहीं है।आवेदिका अपनी खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य करती है जिसके लिये रास्ते की अति आवश्यकता है। नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू ए से बी 12 फीट रास्ता मौके पर कायम किया जाना है जो खसरा नम्बर 381 के सीवासीव होकर आवेदिका के खेत में जाता है। आवेदिका के खेत में जाने के लिये पूर्व में भी ग्राम के जोहड़ में से होकर रास्ता था जो

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(५८)

ता है। आवेदिका के खेत में जाने के लिये पूर्व में भी ग्राम के जोहड़ में से होकर रास्ता था जो क निवासियो के खेतो में से होकर जाता था परन्तु मौजूदा समय में उक्त रास्तो को बंद कर दिया है। मौजूदा समय में आवेदिका के खेत के सबसे नजदीक मुख्य सड़क से उत्तर दिशा की ओर खेत खसरा नम्बर 381 में से होकर आवेदिका के खेत में सुगतमा से जाया जा सकता है तथा स नजदीक रास्ता भी वही होता है। इस कारण नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दू ए से वी खसरा नम्बर 1 में 12 फीट चौड़ा रास्ता भूमि खसरा नं. 375, 376, 377, 378, 379, 380 में आने जाने के लिये जस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जाना आवश्यक एवंन्यायोचित है। आवेदिका रास्ते में ाने वाली भूमि की दुगुनी डी.एल.सी. की राशि जमा करवाने को तैयार है।आवेदिका अपनी खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं. 375, 376, 377, 378, 379, 380 में आने जाने के लिये नजरी नवशा में दर्शित बिदू ए से बी 12 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जाना न्यायोचित है।आवेदिका की भूमि एवं विवादित भूमि भी ग्राम सिगड़ी, तहसील मण्डावा जिला–झुन्झुनू (राज.) में अवस्थित है इसीलिये आवेदन पत्र के लिये श्रीमान्जी के न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।अतः आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदिका की खातेदारी की हाल भूमि खसरा नं. 375, 376, 377, 378, 379, 380 ग्राम सिगड़ी तहसील–मण्डावा, जिला–झुन्झुनू में आने जाने हेतु नजरी नक्शा में दर्शित 12 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता कायम किया जावे एवं नक्शा शीट में उक्त रास्ता अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 02 लगायत 06 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई। अनावेदक 01 की ओर जरिये वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया यह कि आवेदन पत्र की धारा 1 स्वीकार है।आवेदन पत्र की धारा 2 स्वीकार है।आवेदन पत्र की धारा 3 स्वीकार है।आवेदन पत्र की धारा 4 में प्रार्थना पत्र के साथ गद संख्या 1 व 2 में वर्णित खसरा नम्बरान का नजरी नक्सा पेश किया जाना बताया गया उक्त नजरी नक्सा गलत बनाकर पेश किया गया है।प्रार्थना पत्र की धारा 5 अस्वीकार है। यह कहना कतई गलत है कि भूमि खसरा नम्बर 375, 376, 377, 378, 379, 380 में आने जाने एवं कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व पशुधन एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता हो। यह कहना भी गलत है कि सिगड़ी से शेखसर जाने वाले मुख्य रास्ते से बिन्दु ए से बी एक मात्र नजदीकी रास्ता हो। यह कहना भी गलत दर्ज किया गया है कि उक्त ए से वी रास्ता के अलावा भूमि खसरा नम्बर 375, 376, 377, 378, 379, 380 में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी रास्ता नही हों। प्रार्थी को उक्त भूमि में आने जाने के लिए हमेशा से ही खसरा नम्बर 381 की अनिता कुमारीभूमि के पश्चिम दिशा में अन्य खसरा नम्बर की भूमि से रास्ता जाता है जिसे प्रार्थी व अन्य खातेदारान आवगमन करते आ रहे है। प्रार्थी के उक्त क्रय शुदा भूमि में क्रय के समय से ही पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते से आवगमन करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि से करीब 2 वर्ष बाद भूमि का क्रय किया गया है। प्रार्थी द्वारा पश्चिम में स्थिति रास्ते को भूमि क्रय करते समय देखकर ही उक्त भूमि को क्रय किया है तथा पश्चिम में स्थित रास्ते से ही आवगमन करता राह है।प्रार्थना पत्र की धारा 6 अस्वीकार है। आवेदिका अपनी खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य करना विवादित नही है। परन्तु उक्त भूमि में कृषि कार्य के लिए भूमि खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(५७)

381 की भूमि से ही रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकी प्रार्थी के पास पहले से ही उक्त
ं जाने के रास्ता है। कानून से जब किसी भूमि में आने जाने के लिए पहले से ही वैकल्पिक
उपलब्ध हो तो नया रास्ता की मांग नही की जा सकती है।प्रार्थना पत्र की धारा 7 अस्वीकार है।
दिका के पास वैकल्पिक रास्ता पहले से माजूद है जो खसरा नम्बर 381 की भूमि के पश्चिम दिशा
स्थित है। जो आवेदिका व अन्य खातेदारो क खेत मे जाता है। आवेदिका का पूर्व में जा रास्ता होना
य द्वारा बताया गया है। जिसके बावजूद उक्त रास्ता केवल मात्र अन्य जगह से रास्ता कायम करवाने
उद्देश्य से उक्त रास्ता को बन्द बताकर नया रास्ता कायम करवाना चाहती है। आवेदिका उक्त धारा
रास्ता होना माना है। परन्तु आवेदिका द्वारा उक्त रास्ता को ना तो बन्द करने का कोई कारण बताया
ना उक्त रास्ते को किसी के द्वारा बन्द कियागया है ये बताया गया है। केवल मात्र मनगढंत बाते
मानकार उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवेदिका के पास जब पहले से आवागमन के लिए रास्ता
मौजूद है तो फिर नये रास्ते की मांग नजदीकी आधार पर नहीं की जा सकती है। किसी केवल मात्र
आवेदिका अपने खेत में जाने के लिए अपनी सुविधा के लिए ही उक्त रास्ते की मांग की गयी है। जिस
रास्ते की आवेदिका द्वारा मांग की गयी है उस रास्ते से केवल मात्र आवेदिका अपने खेत में जा सकती
अन्य खेत खसरा नम्बर की भूमि में नहीं जाया जा सकता है। आवेदिका व अन्य खातेदारो को अपनी
खेत की भूमि में आने जाने के लिए पहले से रास्ता मौजूद है तो फिर अन्य भूमि में रास्ता कायम किये
जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तविकता में कि अगर आवेदिका को भूमि में रास्ते की आवश्यकता
होती तो उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले अपने खसरा नम्बर की भूमि से जो रास्ते में भूमि जाती
उतनी भूमि अपने खसरा नम्बर की भूमि में देने की बात कहती परन्तु आवेदिका केवल मात्र अप्रार्थी को
परेशान करने के लिए, व अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए अपनी सुविधा मात्र के लिए रास्ते की
माग की गयी जिस पर डीएलसी की राशि देने की बात कही है।प्रार्थन पत्र की धारा 8 अस्वीकार है।
आवेदिका को उक्त खसरा नम्बर की भूमि में आने जाने के लिए पहले से रास्ता माजूद है तो फिर 12
चोड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किये जाने की कोई आवश्यकता नही है। आवेदिका द्वारा केवल
मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज होने योग्य
है।वेदिका के पास पहले से भूमि खसरा नम्बर 381 की भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित भूमि से रास्ता
होत हुये खसरा नम्बर 375 376, 377, 378, 379, 380 की आवेदिका की भूमि व अन्य खसरा नम्बर की
भूमि में रास्ता जाता है जो रास्ता आज भी माजूद है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि
में लेने के लिए आवेदन पत्र पेश किया है। आवेदिका केवल मात्र उसी स्थित में अप्रार्थी से रास्ता ले
सकती थी जब आवेदिका के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही हो परन्तु आवेदिका के पास पहले से
रास्ता मौजूद चला आ रहा है। आवेदिका को इस आधार पर रास्ता नही दिया जा सकता की सबसे
नजदीकी रास्ता हो। अन्तर्गत धारा 251क में रास्ता नही होने की दशा में रास्ता दिया जा सकता है ना
की सुविधा के अनुसार इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें
आवेदिका द्वारा जिस रास्ता से आवागमन किया जाता था वह रास्ता आज भी मौजूद है जिसे सेटेलाईट
मेष के माध्यम से देखा जा सकता है। जब आवेदिका के पास अल्टरनेटली रास्ता मौजूद है तो फिर
अन्य रास्ते की मांग नही की जा सकती है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य
ह।आवेदिका को अप्रार्थी द्वारा अल्टरनेटली आज भी यह विकल्प दिया जाता है कि अगर आवेदिका को
खसरा नम्बर 381 की भूमि से पूर्व दिशा सीवासीव रास्ता कायम करवाना चाहता है तो आवेदिका अपनी
भूमि खसरा नम्बर 379 व 380 की भूमिअप्रार्थी की खसरा नम्बर 381 की भूमि के साथ लगी हुई भूमि
(Adjoining) है। जिसमें जितनी भूमि रास्ते में जाये उतनी भूमि आवेदिका अपनी भूमि खसरा नम्बर

(५४)

380 की भूमि देकर अप्रार्थी से रास्ता प्राप्त कर सकती है। जिसमें अप्रार्थी को कोई अपति नही
जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की कृपा करे।
तहसीलदार मण्डावा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 164 दिनांक 08.02.2024 को अवलोकन किया गया
दार मण्डावा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ग्राम सीगडी के खसरा न. 381 के दक्षिण
के पास से ग्राम सीगडी से शेखसर कुमास की और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज डोटेड रास्ता जाता
ाके पर उक्त डोटेड रास्ते को खसरा न. 422 के खातेदार द्वारा खसरा न. 422 की उतरी सीमा के
र सहारे रास्ते को परिवर्तित कर दिया गया है। मौके पर परिवर्तित रास्ता खसरा न. 381 की दक्षिण
ा के चिपते हुए लगता है। मौके पर खसरा न. 381 में कोई रास्ता वर्तमान में नहीं जाता है। खसरा
381 के खातेदार अपने खेत में उक्त परिवर्तित डोटेड रास्ते से अपने खेत में आना जाना करते है।
क्त परिवर्तित डोटेड रास्ता खसरा न. 381 की दक्षिण सीमा के विपते हुए मौके पर आगे खेतो की ओर
जाता है। उक्त डोटेड रास्ता आवागमन हेतु चालु है। प्रार्थीया के खसरा न. 375, 376, 377, 378, 379,
380 के नजदीकी रास्ता उक्त डोटेड रास्ता लगता है। आवेदिका के खसरा न. 379, 380 की दक्षिणी
सीमा के चिपते अप्रार्थी के खसरा न 381 रिकॉर्ड के अनुसार लगता है। प्रार्थीया के खसरा नम्बरान में
आने जाने हेतु रास्ता चाहने हेतु सक्ष्म न्यायालय में वाद दायर कर धारा 251 (क) में खसरा न. 381 की
पूर्व सीमा के सहारे–सहारे रास्ता वाहा गया है। खसरा न 381 की दक्षिणी सीमा के सहारे राजस्व
रिकॉर्ड में दर्ज डोटेड रास्ता नजदीकी रास्ता लगता है। अतः संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिया
जाना उचित प्रतीत होता है।

विद्वान अभिभाषकगण की वहस सुनी गई। अभिभाषक आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों
का दोराह हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मण्डावा की रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम
करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया । वकील अनावेदक ने आवेदक वकील के तथ्यो को
विरोध दर्ज कराते हुए निवेदन किया किया आवेदक के पास पहले से ही वैकल्पिक रास्ते है। अतः
प्रार्थना मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट
एवं विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की
धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत
या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग
बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला
पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के
लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के
पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
1. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित
लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे
ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और
यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

47

अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित
जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने
कार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा
त किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न.375,376,377,378, 379 व 380 में पहुंच वावत खसरा न.
381 में से रास्ता चाहा गया है । प्रार्थी के ख.न. में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता
नही है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मण्डवा की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण
रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सवूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार
या जाता है। प्रार्थीगण को खेत 375,376,377,378, 379 व 380 में आने–जाने के लिये निकटतम दूरी
खसरा खसरा न. 381 में रास्ते की लम्बाई 112 मी. व चौडाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 448
मीटर जो तहसीलदार मण्डावा की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है,को
जस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है
क रास्ते मे आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर
अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम
किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से
कम हो एवं वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा